का॰ ज्ञा॰ सं॰ I/14034/2/98-रा॰भा॰ (नीति), दिनांक 20.7.1998

विषय: हिंदी पखवाड़े का आयोजन।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस/सप्ताह हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 से 15 सितम्बर, 98 तक ''हिंदी पखवाड़ा'' आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में हिंदी पखवाड़ा-1998 के दौरान केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा इस प्रकार है:-

(क) हिंदी पखवाड़ा 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक (15 दिन) मनाया जाएगा। इन तिथियों में सुविधानुसार परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु मुख्य समारोह 14 सितम्बर, 1998 को ही आयोजित हो।

(ख) माननीय गृह मंत्री जी का संदेश मुख्य समारोह में पढ़ा जाए जिसकी एक प्रति सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को बाद में भिजवा दी जायेगी।

(ग) इसे ''भारतीय भाषाओं के सौहार्द'' पखवाड़ा के रूप में महत्ता दें।

(घ) मुख्य समारोह के दिन कार्यालयों में हाजिरी यथासम्भव शत प्रतिशत सुनिश्चित करें।

(ङ) यह भी सुनिश्चित करें कि 14 सितम्बर, 1998 तक उनके यहां गठित हिंदी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कोई बैठक बकाया न रहे।

(च) इस अवधि के दौरान या आसपास प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं आदि को ''राजभाषा विशेषांक'' के रूप में प्रकाशित किया जाए।

(छ) हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देने वाले हिंदी व हिंदीतर लोगों के योगदान को उजागर किया जाए। इसके लिए कार्यक्रमों, चर्चाओं, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करें।

(ज) इस पखवाड़े के दौरान सदा की भांति राजभाषा संबंधी प्रतियोगिताएं करवाई जाएं तथा राजभाषा पुरस्कार वितरित किया जाए। पुरस्कारों की राशि के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार इस संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

(झ) कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित करने के बजाए पूरे पखवाड़े के दौरान अधिक बार आयोजित किए जाएं और इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रमों का मंत्रालय/विभाग के सचिवालय संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में व्यापक प्रचार किया जाए और ''हिंदी पखवाड़ा'' मनाने के विषय में विस्तृत रिपोर्ट राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) को उपलब्ध कराने की कृपा करें।